

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / /ब-07/2017/डी. एम. सी/चार

भोपाल दिनांक /10/2017

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल,

विषय :- आकस्मिकता निधि से ₹ 30,00,00,000/- (तीस करोड़ केवल) अग्रिम स्वीकृत करने बाबत।

- (1) राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को आकस्मिकता निधि से ₹ 30,00,00,000/- (तीस करोड़ केवल) का अग्रिम स्वीकृत करता है।
- (2) अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु विभाग द्वारा निम्नांकित कार्यवाही की जावे;
 - (i) मांग संख्या 01-सामान्य प्रशासन-2013 मंत्रि परिषद-(105) मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-5839-मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान- 44-राज सहायता-001 प्रत्यक्ष राज सहायता के अन्तर्गत प्रावधान कराया जाये। इस हेतु राशि रूपये 30,00,00,000/- (तीस करोड़ केवल) का आकस्मिकता निधि स्वीकृत किया जाता है।
 - (ii) आकस्मिकता निधि से प्राप्त राशि की प्रतिपूर्ति हेतु द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2017-18 में ऊपरवर्णित व्यय शीर्षों में प्रावधान शामिल कराये। संक्षेपिका में उल्लेख किया जावे कि, आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त किया गया है।
- (3) आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि के बजट नियंत्रण अधिकारी मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय भोपाल (बी. सी. ओ. कोड - 0101) होंगे।
- (4) आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि का आहरण संबंधित जिलों के कलेक्टर द्वारा शीर्ष-8000 आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत किया जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(रूपेश कुमार पठवार)

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृ. क्रमांक 119/1115 /ब-07/2017/डी. एम. सी/चार
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक 12/10/2017

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर दो अतिरिक्त प्रतियों सहित अग्रेषित।
 2. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
 3. आयुक्त, कोष एवं लेखा संचालनालय, पर्यावास भवन, भोपाल,
 4. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, बजट शाखा-08, मंत्रालय,
 5. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश,
 6. मूल नस्ती
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल